केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 SEP 2020
D. No.......
Initials.......

CICOM/A/P/20/00072
CICOM/R/P/20/00270

अपीलकर्ता का नाम : श्री जुगल किशोर रस्तोगी
आर/ओ – 21–ए/276–ए, औद्योगिक क्षेत्र,
चरण–1, माया पुरी, नई दिल्ली–110 064

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आरटीआई आवेदन की तिथि | 18.06.2020 |
| 2. | सीपीआईओ के जवाब की तिथि | 23.07.2020 |
| 3. | सीपीआईओ का विवरण | श्री ए0 के0 असीजा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार। |
| 4. | प्रथम अपील की तिथि | 10.08.2020 |
| 5. | प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि | 10.09.2020 |
| 6 | निर्णय की तिथि | 21.09.2020 |

1. वाद का संक्षीप्त विवरण :

अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्रार्थी के द्वितीय अपील संख्या CIC/EPFOG/A/2017/053016, 155077 के संदर्भ में दिनांक दिनांक 31.08.2017 को दिये गए आदेश के अनुपालन में संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित रिपोर्ट की प्रति के साथ–साथ, प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की निर्धारित अवधि, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि से केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने की अवधि, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन के अंतरण करने अथवा धारा 5(4) के अंतर्गत आवेदन के अग्रसारण करने की निर्धारित अवधि, द्वितीय अपील के सुनवाई की संभावित अवधि, आयोग के एक निर्णय संख्या CIC/AD/A/2013/001326-SA (श्री रमेश चन्द्र जैन बनाम दिल्ली ट्रांस्पोर्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की प्रति आदि सूचना की मांग कुल 7 बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

ok

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को बिंदुवार सूचना प्रेषित की। इसके अंतर्गत आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के संदर्भ में द्वितीय अपीलीय आदेश संख्या CIC/EPFOG/A/2017/053016, 155077 दिनांक 31.08.2017 के अनुपालन में संबंधित प्रतिवादी पक्ष से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी थी तथा बिंदु संख्या 2 और 3 की सूचना के संदर्भ में अधिनियम में निर्धारित समयावधि से प्रार्थी को अवगत करा दिया गया था। आयोग के प्रश्नगत निर्णय संख्या CIC/AD/A/2013/001326-SA के संदर्भ में प्रार्थी को यह सूचित किया गया कि निर्णय आयोग के

वेबसाईट पर उपलब्ध है। शेष बिंदुओं की सूचना हेतु प्रार्थी को आरटीआई अधिनियम, जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने की सलाह दी गयी थी।

**3. प्रथम अपील का आधार :**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है। प्रार्थी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के संदर्भ में ईएसआईसी रोहिणी द्वारा दी गयी रिपोर्ट की प्रति और ईपीएफओ (नार्थ), वजीरपुर द्वारा दी गयी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तदनन्तर, आवेदन के बिंदु संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत प्रदान की गयी सूचना के संदर्भ में प्रार्थी की दलील है प्रार्थी के पास वेबसाईट से सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

**4. निर्णय :**

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में बिंदुवार सूचना प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। अतः आवेदन के बिंदु संख्या 1 की सूचना के संदर्भ में रिकार्ड में उपलब्ध अनुपालना रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी को प्रदान कर दी गयी है। तदनन्तर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 11271/2009 (द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एवं अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार गर्ग एवं अन्य) में दिनांक 01.06.2012 को दिये गए आदेश में यह अधिकथित किया है कि एक बार सूचना जब लोक प्रक्षेत्र और वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जाती है, वह सूचना उस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन नहीं होगी और इस प्रकार 'सूचना का अधिकार अधिनियम, के अंतर्गत सुलभ नहीं होगी। अतः वैसी सूचना, जो लोक प्रक्षेत्र में उपलब्ध हो, को प्रदान करने हेतु एक जन सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है और न ही इस संदर्भ में उसे निर्देश जारी किया जा सकता है।

इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 21 सितम्बर, 2020

मीनाशर्मा 21/09/2020

(मीणा बलिमाने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
**दूरभाष : 26162290**

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री ए0 के0 असीजा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।